कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पुराना कलेक्टोरेट, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)
Phone-07817-222018, Fax- 07817-222018 , Email Id- actd.janjgir@gov.in

क्रमांक / EMRS / आ0वि0 / 2022–23 / 1088 जांजगीर, दिनांक 11/07/2022

प्रति,

प्रेाचार्य,
संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,
पलाड़ीखुर्द वि0खं0 सक्ती,
जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.)

विषय :– नवनियुक्त पी.जी.टी. अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति लेने बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का आदेश क्र. / EMRS / आ.वि. / 2022–23 / 1054 दिनांक 7.07.22.

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के तहत् श्री / ~~श्रीमती~~ / ~~सुश्री~~ विजय कुमार सिदार टी.जी.टी. अतिथि शिक्षक विषय हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम) के लिए संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पलाड़ीखुर्द वि0खं0 सक्ती में कार्य करने हेतु आदेशित् किया गया है।

उक्त आदेश के परिपालन में श्री / ~~श्रीमती~~ / ~~सुश्री~~ विजय कुमार सिदार के द्वारा दिनांक 11.06.22 को इस कार्यालय में कार्य पर उपस्थित हुये। अतः आप नियुक्त हुये अभ्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता की सभी प्रमाण पत्र की एक प्रति संस्था में रखें एवं इनकी उपस्थिति लेकर अध्यापन कार्य संचालन करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(एच.के. सिंह उइके)
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास जांजगीर–चांपा

पृ0क्रमांक / EMRS / आ.वि. / 2022–23 / 1089 जांजगीर, दिनांक 11/07/2022

प्रतिलिपि :–

संबंधित श्री विजय सिदार / श्रीराम सिदार ग्राम [illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्। आप अपनी उपस्थिति दिनांक 11.06.22 को संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाड़ीखुर्द वि0खं0 सक्ती में देना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास जांजगीर–चांपा

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पुराना कलेक्टोरेट, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)
Phone-07817-222018, Fax- 07817-222018 , Email Id- actd.janjgir@gov.in

:: आदेश ::

क्रमांक / EMRS / आ0वि0 / 2022–23 / 1054 जांजगीर, दिनांक 07 / 07 / 2022

आयुक्त / पदेन सचिव, छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति नवा रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक एफ–17–38 / 2016 / 2052 दिनांक 31.05.2018 एवं कार्यालयीन पत्र क्र0 / EMRS / आ.वि. / 2022–23 / 392 दिनांक 18.05.2022 एवं कार्यालयीन पत्र क्र0 / EMRS / आ.वि. / 2022–23 / 507 दिनांक 26.05.2022 के तहत् संयुक्त एकलव्य् आदर्श आवासीय विद्यालय पलाड़ीखुर्द वि0खं0 सक्ती में टी.जी.टी. (अतिथि शिक्षक) अंग्रेजी माध्यम के लिए प्रेस–विज्ञप्ति जारी कर हिन्दी, अग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, क्राफ्ट शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक पद पीटीआई (महिला) के 1–1 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था।

उक्त पत्र के निर्देशानुसार तथा विज्ञापन में दिये गये निहित शर्तो के अनुसार एवं प्राप्त विषयवार आवेदन पत्रों के परीक्षण कर जिला चयन समिति के अनुमोदन पश्चात् मेरिट सूची एवं **Walk in Interview** में दिये गये अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी कर विषयवार निम्न अभ्यार्थियों का चयन टी.जी.टी. (अतिथि शिक्षक) अंग्रेजी माध्यम का मानदेय रू. 350 / – प्रतिकालखंड एवं पी.टी.आई (महिला) रूपये 150 / – प्रतिकालखंड की दर से निम्न शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाड़ीखुर्द वि0खं0 सक्ती में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :–

क्र.	चयनित अभ्यार्थियों का नाम	पता	विषय
1	2	3	4
1	विजय कुमार श्रीवास / श्रीराम श्रीवास	ग्राम पोड़ीभाठा, पो. अकलतरा जिला जांजगीर–चाम्पा	हिन्दी
2	प्रतिभा मेहर / भरत लाल मेहर	म.न.260 विनायका चौक विनोबा नगर बोईरदादर रायगढ़	गणित
3	चंद्रशेखर यादव / सुखसागर यादव	ग्रा. महंत तह. नवागढ़ जिला जांजगीर–चाम्पा	विज्ञान
4	राहुल ध्रुव / राज कुमार ध्रुव	बड़ी कोनी, कोनी थाना के पास, कोनी बिलासपुर	क्राफ्ट शिक्षक
5	पूजा कश्यप / चैत राम कश्यप	वार्ड. नं.17, शारदा मंदिर के पीछे, चंदनिया पारा जांजगीर	पी.टी.आई (महिला)

सेवा शर्ते :–

1 सेवा शर्ते शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश अनुरूप होंगे।

2 सेवा अवधि शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए है। शैक्षणिक सत्र 2022–23 समाप्ति पश्चात् उक्त आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। चयनित कर्मचारी जिला स्तरीय समिति के अधीन होंगे।

3 पदभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4 उपरोक्त सेवा में अधिकतम 04 कालखंड प्रतिदिन की दर से मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5 उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात जितनी अवधि के लिए सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन, मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

6 कार्यभार ग्रहण के समय आवेदक को सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूलप्रति सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जांजगीर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7 नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा देय नहीं होगा।

8 अर्हता प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित या फर्जी पाया जाता है तो उसे पद से बर्खास्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।

9 अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से 05 दिवस के भीतर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जांजगीर में कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नही आना चाहते हैं, उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

10 निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थित नहीं होने पर मेरिट सूची के आधार पर अगले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

11 कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की सेवा में कमी पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी। इसके लिए न्यायालय में वाद मान्य नहीं किया जावेगा।

12 संस्था से किसी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर बिना सूचना के कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।

कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / EMRS / आ0वि0 / 2022–23 / 1055 जांजगीर, दिनांक 07/07/2022

प्रतिलिपि :–

1 आयुक्त / पदेन सचिव, छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति नवा रायपुर (छ.ग.)।

2 जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. जांजगीर–चॉपा को सूचनार्थ। कृपया जिला जांजगीर–चॉपा के वेबसाइट **www.janjgir-champa.gov.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3 कार्यालयीन लेखा शाखा प्रभारी जांजगीर–चॉपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4 प्राचार्य, संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाड़ीखुर्द वि0खं0 सक्ती जिला जांजगीर–चॉपा को सूचनार्थ।

5 संबंधित श्री / ~~श्रीमती~~ / ~~कु.~~ विजय कुमार सिदार / श्री रामसिदार ग्राम पोड़ीभाठा पो. सकलतरा जिला जांजगीर को सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)